PERFECT MEGASTRUCTURE PRIVATE LIMITED

दिनांकः 28/08/2019

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता/तकनीकी सलाहकार
उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण
नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान,
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदाराबाद,
लखनऊ-226007

विषयः उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (उ०प्र० रेरा) में परियोजना IVY County जनपद Gautam Buddha Nagar आवेदन आई०डी० नं० ID20729 के पंजीयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृप्या अपने उपरोक्त विषयक पत्र संख्या 2108191/यू०पी०-रेरा/परि०पंजी०/2018-19 दिनांक 21/08/2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र में आपके द्वारा इंगित कमियों के विषय में विकासकर्ता कम्पनी निम्न निवेदन करती हैः-

1- आपके निर्देशानुसार कम्पनी के डायरेक्टर्स के बड़े फाइल साइज फोटोग्राफस यू०पी० रेरा पोर्टल पर अपलोड कर दिये गये हैं।

2- प्रमोटर द्वारा विषयक परियोजना का ले-आउट अपलोड कर दिया गया है तथा उक्त ले-आउट के साथ एरिया चार्ट भी अपलोड कर दिया गया है। आपके निर्देशानुसार परियोजना के फ्लोर मैप यू०पी० रेरा पोर्टल पर पुनः अपलोड कर दिये गये हैं।

3- परियोजना की सब-लीजडीड में उल्लेखित पत्र संख्या नोएडा/जी०एच०-15(ईको सिटी-सेक्टर-75)/2018/6057 की प्रति पोर्टल पर अपलोड़ कर दी गई है।

4- परियोजना संबंधी इंजीनियर सर्टिफिकेट आपके निर्देशानुसार पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। परियोजना का Encumberance Certificate यू०पी० रेरा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। परियोजना के कन्वेंस डीड के परफोरमा के संबंध में आपको अवगत कराना है कि उक्त परियोजना के भूखण्ड का आवंटन विकासकर्ता कम्पनी को नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) द्वारा

PERFECT MEGASTRUCTURE PVT. LTD. NOIDA

आवंटित किया गया जिसकी सब-लीजडीड प्राधिकरण द्वारा विकासकर्ता कम्पनी के पक्ष में दिनांक 08/01/2019 को पंजीकृत की गई।

उक्त सब-लीजडीड की छायाप्रति पूर्व में ही माननीय विनियामक प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जा चुकी है। उक्त सब-लीजडीड के बिन्दु E के अनुसार विकासकर्ता कम्पनी को उक्त भूखण्ड पर नियमानुसार निर्माण पूर्ण करने के पश्चात उक्त बिन्दु के उप बिन्दु 5 के अनुसार आवंटी के पक्ष में सब-लीजडीड का पंजीयन प्राधिकरण, नोएडा ;Lessor) द्वारा उपलब्ध कराये गये परफोरमा अनुसार कराना होगा। यहां यह उल्लेखित करना प्रासांगिक है कि उक्त पंजीयन परफोरमा प्राधिकरण द्वारा परियोजना के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के पश्चात तत्कालीन नियम व शर्तों के अनुसार तैयार कर विकासकर्ता कम्पनी को उपलब्ध कराया जाता है। अतः वर्तमान में कनवेंस डीड का परफोरमा माननीय विनियामक प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है परंतु विकासकर्ता कम्पनी द्वारा परियोजना की सम्पूर्ति पर प्राधिकरण से उक्त परफोरमा उपलब्ध होते ही माननीय विनियामक प्राधिकरण में प्रेषित कर दिया जायेगा।

अतः विषयक पत्र का उत्तर उपरोक्त अनुसार आपके निर्देशों के अनुपालन में प्रेषित करते हुए आपसे निवेदन है कि कृपया विषयक परियोजना का पंजीयन स्वीकृत करने का कष्ट करें।

उक्त विषय में यदि अन्य कोई जानकारी विकासकर्ता कम्पनी से आपेक्षित हो तो कृपया न्याय हित में विकासकर्ता कम्पनी को अवगत कराने का कष्ट करें तथा तब तक उपरोक्त विषय में कोई वैद्यानिक कार्यवाही विकासकर्ता कम्पनी पर ना की जाये।

सधन्यवाद।

भवदीय

PERFECT MEGASTRUCTURE PVT. LTD. NOIDA

(अधिकृत हस्ताक्षरी)

परफेक्ट मेगास्ट्रक्चर प्रा० लि०